



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3888]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2019/अग्रहायण 11, 1941

No. 3888]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2019/AGRAHAYANA 11, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2019

का.आ. 4332(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109 की उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिश पर, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत के राजपत्र (असाधारण) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई तालिका 1 में निहित विवरण के अनुसार माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (जीस्टेट) की राज्य पीठों और नीचे दी गई तालिका 2 में निहित विवरण के अनुसार क्षेत्रीय पीठों के सृजन को अधिसूचित करती है।

तालिका - 1

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थान
1	मिजोरम	आइजोल
2	राजस्थान	जयपुर

तालिका 2

क्रम. सं.	राज्य का नाम	स्थान
1	कर्नाटक	बेंगलुरु में दो क्षेत्रीय पीठ
2.	राजस्थान	जोधपुर में एक क्षेत्रीय पीठ

[सं. 3/2019/फा.सं. ए.50050/150/2018-प्रशा.1ग(सीस्टेट)]

ऋत्विक् पांडेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th November, 2019

S.O. 4332(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section 6 of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Central Government, on the recommendation of the Goods and Services Tax Council, hereby notifies the creation of the State Benches of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) as per the details contained in the table 1 below and Area Benches as per the details contained in table 2 below, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India (Extraordinary):

TABLE-1

S. No.	Name of State/Union Territory	Location:
1.	Mizoram	Aizawl
2.	Rajasthan	Jaipur

TABLE 2

S. No.	Name of State	Location:
1.	Karnataka	Two Area Benches at Bengaluru
2.	Rajasthan	One Area Bench at Jodhpur

[No. 3/2019/F. No. A.50050/150/2018-Ad.1C(CESTAT)]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.